



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19459

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43265 वर्ष 2024

नसीम

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अजीत कुमार पांडे, अखिलेश कुमार मिश्रा, सोनू मलिक

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, उमैर महमूद, विवेक पांडे

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक द्वारा दायर पूरक हलफनामा रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार मिश्रा, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री उमैर महमूद और राज्य के विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री घनश्याम मिश्रा की दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह जमानत याचिका आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 124/2022, धारा 302, 201, 34 आईपीसी, पुलिस स्टेशन हीमपुर दीपा, जिला बिजनौर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि यह आवेदक की ओर से दायर की गई तीसरी जमानत याचिका है और उनकी पिछली दो जमानत याचिकाएं इस न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार करने के बाद खारिज कर दी गई थीं कि आवेदक मृतक का पति है और उसके द्वारा जमीन खोदने के बाद शव बरामद किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि आज तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। हालांकि, वह आगे निवेदन करते हैं कि उन्हें मुकदमे की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुकदमे से लगभग दो महीने पहले यह साक्ष्य चरण में था।

5. वह आगे निवेदन करते हैं कि आवेदक 11.06.2022 से यानी पिछले साढ़े तीन साल से अधिक समय से जेल में है, इसलिए आवेदक की लंबी कैद को देखते हुए, उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

6. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि मामले की योग्यता पर विचार करने के बाद, आवेदक की पहली और दूसरी जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी गई है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि मुकदमा अपने अंतिम चरण में है और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं। यहाँ तक कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत आवेदक का बयान भी 16.10.2025 को दर्ज किया जा चुका है। वर्तमान में अंतिम बहस के लिए तिथियां निर्धारित की जा रही हैं, इसलिए इस उन्नत चरण में आवेदक को जमानत पर रिहा करने का कोई कारण नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और मामले का अभिलेख देखा।
8. आवेदक की ओर से यह तीसरी जमानत याचिका दायर की गई है और उनकी पिछली दो जमानत याचिकाएं इस न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दी गई हैं, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वह मृतक का पति है और उसके द्वारा इंगित किए जाने पर मृतक का शव जमीन खोदने के बाद बरामद किया गया था।
9. इसके अलावा, यह दर्शाता है कि वर्तमान मामले में आवेदक 11.06.2022 से यानी पिछले साढ़े तीन साल से अधिक समय से जेल में है, लेकिन बहस के दौरान सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने आवेदक का धारा 313 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान प्रस्तुत किया, जिसे रिकॉर्ड में लिया गया है और 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है, जिससे पता चलता है कि उसका बयान 16.10.2025 को दर्ज किया गया था। इसलिए, मुकदमा उन्नत चरण में है और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार भी अंतिम बहस के लिए तारीखें तय की जा रही हैं।
10. मुकदमे की वर्तमान स्थिति और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस स्तर पर आवेदक को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं हूँ।
11. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह जमानत याचिका **खारिज** की जाती है।
12. यद्यपि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामले की सुनवाई उन्नत चरण में प्रतीत होती है, अवर न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के अनुसार यथाशीघ्र सुनवाई पूरी करे, अधिमानतः इस न्यायालय द्वारा आज पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का सुनवाई के दौरान मामले की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

28 जनवरी 2026

एके पांडे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।